न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींपा, आर.ए.एस.(प्रशिक्षु)

आवेदनपत्र संख्या 28 / 2015
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सोहनसिंह आत्मज श्री गुरदितसिंह, रावल, दुल्लापुरकेरी
2. तस्वीरसिंह आत्मज श्री जरनैलसिंह, रावल, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती मायाबाई,
2. श्रीमती जीतोबाई,
3. जंगीरसिंह आत्मजन श्री गुरदितसिंह, रावल, दुल्लापुरकेरी,
4. जसविन्द्रसिंह,
5. श्रीमती सुखविन्द्रकौर,
6. श्रीमती वीरोबाई,
7. श्रीमती निर्मलकौर आत्मजन श्री जरनैलसिंह, रावल, दुल्लापुरकेरी,
8. भीखाराम,
9. श्रीमती केसर
10. श्रीमती भंवरी
11. श्रीमती स्यानादेवी
12. श्रीमती रूकमादेवी आत्मजन स्व. श्रीमती अमानीदेवी धर्मपत्नी श्री फकीराराम, चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
13. महेन्द्रसिंह आत्मज श्री गिरधारीराम, रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा मुख्तयार खास.
14. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

......अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (आवेदक)
श्री हंसराज तनेजा (अनावेदक)

दिनांक 19 अगस्त, 2016

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 6 सी छोटी तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 24 एवं 25 की कृषि भूमि श्री गुरदितसिंह आत्मज श्री चौधरीसिंह को भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया. जिसकी आय से चक 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 में 25.00 बीघा अनावेदक संख्या 7 व 8 से क्रय किया गया तथा चक 7 सी बड़ी–II के मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 5/2, 6, 7, 14, 17 एवं 24 कुल 1.328 हैक्टर आवेदक की माता के नाम पर तथा मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 12/2, 13 से 15 कुल 0.949 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 7/2, 8 एवं 14 कुल 0.633 हैक्टर श्री सोहनसिंह के नाम पर क्रय किया गया. साथ ही, अनावेदक संख्या 3 के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नाम चक 6 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 9 कुल 1.872 हैक्टर क्रय किया गया. जो संयुक्त सम्पत्ति है. जिस पर आवेदकगण शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं. अनावेदकगण बदनीयती पूर्वक प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय एवं हस्तान्तरित करने में प्रयासरत हैं. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चक 6 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 24(25.00) बीघा, चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 41(25.00) बीघा, चक 7 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 41(1.586) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 4(0.949) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 21(1.582) हैक्टर, चक 6 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 6 से 9 के अभिलेखों एवं मौका की स्थिति यथावत रखे जाने के साथ साथ बंधक, विक्रय की बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 एवं न्याया. अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 20/2015 शीर्षक सोहनसिंह व अन्य बनाम भीखाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08 फरवरी, 2016, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 19 जून, 1975, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 19 जून, 1975, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 19 जून, 1975, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 1743/30, रसीद संख्या 1720/09, रसीद संख्या 478/48, सिंचाई विभाग द्वारा जारी सुखी गली बारी की पर्ची दिनांक 27 दिसम्बर, 2010, पर्ची दिनांक 4 दिसम्बर, 2016 एवं पर्ची दिनांक शून्य की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1, 8 से 12 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 2 से 4, 6 एवं 13 की तलबी हेतु जारी पंजीबद्व नोटिस की पावतियां प्रस्तुत होने पर दिनांक 13 जुलाई, 2015 को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा अनावेदक संख्या 2 से 4, 6 एवं 13 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

अनावेदक संख्या 8 से 12 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 14 अक्तूबर, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण चक 8 सी बड़ी के खाता संख्या 33/20 मुरब्बा नम्बर 41(25.00) बीघा एवं 9/9 किला नम्बर 1(0.126) हैक्टर कुल 6.326 हैक्टर की बाबत न्याया. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रकरण संख्या 005/2013 शीर्षक भीखाराम व अन्य बनाम सोहनसिंह व अन्य प्रस्तुत किया गया जिसमें पारित निर्णय दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा आवेदकगण का कब्जा नाजायज होना मानते हुऐ अनावेदकगण को कब्जा दिये जाने के आदेश जारी किये गये. इस प्रकार एक ही विषयवस्तु पर एक ही न्याय निर्णय होने पर धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुनः कार्यवाही नही की जा सकती इसलिये विचाराधीन प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है. अनावेदगण की पूर्वजा श्रीमती मीरां उर्फ श्रीमती अमानीदेवी धर्मपत्नी श्री फकीराराम एवं तुलछी द्वारा आवेदकगण अथवा किसी अन्य को भी मुरब्बा नम्बर 41 व अन्य कृषि भूमि कभी विक्रय नहीं की गयी. तथाकथित विक्रय विलेख न केवल कूटरचित हैं बल्कि शुरू से

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

शून्य हैं. क्योंकि आवेदकगण स्वर्ण जाति तथा श्रीमती अमानी आत्मजा श्री कालूराम जाति से नायक हरीजन एवं अनुसूचित जाति की थी इस प्रकार कथित विक्रयविलेख शुरू से शून्य हैं. जिनके आधार पर आवेदकगण अथवा किसी को भी कोई हक व अधिकार कभी हासिल नही हुऐ. यही कारण विशेष है कि विक्रय विलेख सन् 1975–76 को निष्पादित होने के कथन किया गया है, के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ. आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 से 7 परस्पर मिलीभगत कर जानबूझ कर अनावेदकगण की कृषि भूमि हड़प करने की दृष्टि से न्याया. तहसीलदार द्वारा जारी निर्णय दिनांक 20 मार्च, 2015 को विफल करने की दृष्टि से प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में न्याया. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 005/2013 शीर्षक भीखाराम व अन्य बनाम सोहनसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20 मार्च, 2015 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी

चूंकि क्रयशुदा कृषि भूमि का कब्जा आवेदकगण के पास चला आ रहा है जिसे न्याया. अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 20/2015 शीर्षक सोहनसिंह व अन्य बनाम भीखाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08 फरवरी, 2016 में भी स्पष्ट किया गया है, ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में सिद्व होता है.

अतः आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 6 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 24(25.00) बीघा, चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 41(25.00) बीघा, चक 7 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 41(1.586) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 4(0.949) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 21(1. 582) हैक्टर, चक 6 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 6 से 9 के मौका एवं अभिलेखों की स्थिति यथावत रखते हुऐ बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 19 अगस्त, 2016 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छींपा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर